

## कार्यालय-जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, जनपद-चित्रकूट

संख्या- 1070 / जि0आ0अधि0 / व्यवस्थापन / 2021-22 / ई-टेंडर / चित्रकूट / दिनांक: जुलाई 06, 2021

### ई-टेंडर (आबकारी विज्ञप्ति)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि देशी शराब दुकान रसिन मृतक अनुज्ञापी के नाम से संचालित हो रही थी जिसको जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी महोदय के पत्र संख्या-1042 / जि0आ0अधि0 / चित्रकूट / दे0श0दु0 / 2020-21 / दिनांक-30.06.2021 के द्वारा जनपद चित्रकूट की देशी शराब दुकान रसिन को निरस्त कर दिया गया है। जिसका पुनर्व्यवस्थापन वर्ष 2021-22 की अवधि हेतु किया जाना है। ई-निविदा को वेबसाइट [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) से ऑनलाइन डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है।

**वर्ष 2021-22 की अवधि हेतु ई-टेंडर के माध्यम से व्यवस्थित की जाने वाली देशी शराब दुकान रसिन का विवरण उक्त दिये गये निर्देशों के तत्कम में ई-टेंडर/ऑफर हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-**

- देशी शराब दुकान हेतु प्राप्त आफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0, के ई-टेंडर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई-टेंडर/आफर प्राप्त होते हैं, तब जनपद स्तर पर ही मैनुवली लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई-टेंडर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।
- समस्त मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष के निवासियों से ऑनलाइन ई-टेंडर आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

1	Bid submission start date	08-07-2021 at 11:00
2	Bid submission closing date	13-07-2021 at 17:00
3	Technical bid opening date	14-07-2021 at 11:00
4	Financial bid opening date	14-07-2021 at 16:00
5	The place of bid opening	Collectorate Meeting Hall, Chitrakoot

- ई-टेंडर आमंत्रित करते समय प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु "फी-डिटेल्" वाले पेज पर "फी-पेमेन्ट मोड" के अन्तर्गत "ऑनलाइन" (चेक बाक्स) सलेक्ट किया जायेगा। उसके उपरान्त प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि ई-टेंडर पोर्टल पर केवल ऑनलाइन के माध्यम से ली जायेगी।

प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि को ऑनलाइन जमा करने हेतु आवेदक के पास दो विकल्प उपलब्ध होंगे।

(1) इन्टरनेट बैंकिंग (2) चालान, जिनमें से किसी एक माध्यम से आवेदक उक्त धनराशि जमा कर सकेगा। चयनित आवेदक के अतिरिक्त अन्य आवेदकों की जमा धरोहर धनराशि उनके चुसी खाते में स्वतः वापस हो जायेगी।

- प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी मदिरा दुकान हेतु रु0 20,000/- प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा।
- बेसिक/लाइसेंस फीस का भुगतान ई-पेमेन्ट के द्वारा विभागीय पोर्टल [upexciseonline.in](http://upexciseonline.in) के माध्यम से किया जाएगा।
- आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा।

व्यवस्थापन की शेष शर्तों पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही रहेंगी। इच्छुक आवेदनकर्ता/ऑफरदाता प्री-बिड मीटिंग हेतु दिनांक 09.07.2021 को 16:00 बजे आबकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट में उपस्थित हों। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

(राजेन्द्र यादव)

जिला आबकारी अधिकारी  
जनपद चित्रकूट।

(शुभ्रान्त कुमार शुक्ल)  
जिलाधिकारी,  
जनपद चित्रकूट।

संख्या : / तददिनांक-

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ दिनांक 14.07.2021 को होने वाले ई-टेंडर/आफर सम्बन्धित समस्त तकनीकी व्यवस्था पूर्ण कराये।
- आशुलिपिक, जिलाधिकारी चित्रकूट, को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त तिथियों को निर्धारित कार्यक्रम सूचीबद्ध किया जाये।
- जिला आबकारी अधिकारी/समस्त आबकारी निरीक्षक चित्रकूट को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त तिथियों को सम्बन्धित से सम्पर्क रखते हुए समस्त कार्यवाही ससमय एवं सकुशल सम्पन्न कराये।
- विज्ञापन व्यवस्थापक, ..... को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र में सीमित एवं अन्य स्थान(13X13) में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं भुगतान हेतु बिल जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट से सत्यापित कराकर उपलब्ध कराये।

(राजेन्द्र यादव)

जिला आबकारी अधिकारी  
चित्रकूट।

# कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट।

वर्ष 2021-22 हेतु ई-टेण्डर/ऑफर हेतु दुकानों का विवरण पत्र

क्र० सं०	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निधारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फी			धरोहर धनराशि (रु० में)	हैसियत मूल्य (रु० में)	प्रतिभूति धनराशि (रु० में)
			निधारित वार्षिक एम०जी०क्यू० ब०ली० में 36 प्रतिशत वी/वी टर्म में	वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस	वार्षिक लाइसेंस फीस			
1	रसिन	ग्रामीण	30360	1077780	6861360	107778	1323190	686136

(विनोद कुमार साव)  
आबकारी निरीक्षक,  
क्षेत्र-1, कर्वी, चित्रकूट।

(सजेन्द्र यादव)  
जिला आबकारी अधिकारी,  
चित्रकूट।

(शुभ्रान्त कुमार शुक्ल)  
जिलाधिकारी  
चित्रकूट।